तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.09.2022	विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर दोनो पक्षों की बहस सुनी गई । वकील विप्रार्थी संख्या की बहस है कि ग्राम फूलण तहसील समदडी की मूल खसरा संख्या 130 का रकबा 430 बीघा था और किरम रेतली थी। जिसमें से विभिन्न आवंटनों के जरिये यह खसरा कई भागों में विभक्त हो गया। वक्त आवंटन विवादित भूमि की तरमीम तो वास्तविक कब्जानुसार की गई, किन्तु खसरा संख्या अंकित करने के दौरान खसरा संख्या कब्जा स्थिति से भिन्न दे दिये गये, जिससे एक पक्ष के खसरा संख्या किसी अन्य के कब्जा सुदा खसरे में अंकित हो गये और कमोबेश लगभग सभी विभक्त खसरों की यही स्थिति रही । सेग्रीगेशन के दौरान तहसीलदार समदडी एवं उनके अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा वास्तविक कब्जा स्थिति अनुसार नवीन खसरा नंबर अंकित किये गये। विप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि उक्त समस्त तथ्यों पर विचार कर माननीय न्यायालय ने इस विषय वस्तु से संबंधित राजस्व आवेदन संख्या 65ए/2019 सरकार बनाम बाबुलाल में दिनांक 16.08.2019 को आदेश पारित किये थे, किन्तु प्रार्थी, न तो मूल खसरा संख्या 130 से विभक्त होकर बने किसी भी खसरे का खातेदार है और न उक्त भूमि में किसी प्रकार से हितबद्ध है, उन्ही तथ्यों पर आवेदन लाया है जबकि नियमानुसार किसी विषय वस्तु पर एक बार आदेश पारित करने के बाद उसी विषय वस्तु पर वही अदालत दुबारा सुनवाई नहीं की सकती है, क्योंकि उससे दो प्रकार के आदेश (प्राड्न्याय) होने की आशंका रहती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध होने से मय खर्चा खारिज किया जावे। इसके विपरीत वकील प्रार्थी की बहस है कि पुराने खसरों के स्थान पर ग्राम के अंतिम खसरा नम्बर के आधार पर खसरों के पुनर्निधारण के द्वारा राजस्व कर्मियों द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार प्रार्थी के पूर्व खसरा नंबर 130/4 का नया खसरा नंबर 269/130 निर्धारित हुआ, किन्तु राजस्व कर्मियों ने डीआईएनएलएमपी के तहत भूलवश प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर उक्त नवीन खसरा नंबर अंकित कर दिये। अतः लिपिकीय त्रुटि से गलत खसरा नंबर अंकित होने से विप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर खुद काबिज होने पर उतारू हैं। अतः प्रार्थी खसरा संख्या 130/4 के स्थान पर, जो वास्तविक नवीन खसरा नंबर है, खसरा संख्या 269/130 दर्ज करवाने का अधिकारी है, जो किये जावे। हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। मूल खसरा नंबर 130 से आवंटन के जरिये विभक्त होकर बने खसरा नंबरों मे तरमीम तो वास्तविक आवंटन सुदा भूभाग के अनुसार की गई। किन्तु खसरा संख्या गलत अंकित किये जाने से राजस्व रिकॉर्ड एवं लट्ठा नक्शा की स्थिति में भिन्नता आ गई। डीआईएलआरएमपी के तहत राजस्व कर्मियों के द्वारा कब्जा स्थिति की जॉच के बाद खसरा नंबर दुरस्त किये गये। प्रार्थी ने वर्तमान खसरा नंबर 269/130 वाली भूमि पर अपने प्रार्थना पत्र में अपना कब्जा होना बताया है, किन्तु उसका उक्त भूमि पर कब्जा किस हैसीयत से है, यह स्पष्ट नहीं किया है, न उसने मूल खसरा संख्या 130 मे से विभक्त किसी भी खसरे की अपने नाम खातेदारी होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

है।

हम वकील विप्रार्थी संख्या 02 की इस दलील से सहमत हैं कि किसी विषय वस्तु पर बादविचारण गुणावगुण के आधार पर अदालत द्वारा कोई आदेश पारित करने के बाद वही अदालत उसी विषय वस्तु पर दुबारा आदेश पारित नहीं कर सकती है। चूंकि राजस्व आवेदन संख्या 65ए/2019 सरकार बनाम बाबुलाल में अदालत ने बाद सुनवाई खसरा संख्या 130/33 के स्थान पर 269/130 दर्ज करने के आदेश पारित किये थे और तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद भी हो चुका है। पुनः इसी विषय वस्तु पर अदालत स्तर से विचार किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है और न ऐसा किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित है।

लिहाजा विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मूल आवेदन विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)